

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर:

1. अपील संख्या-899/2017/अलवर.
2. अपील संख्या-900/2017/अलवर.
3. अपील संख्या-901/2017/अलवर.
4. अपील संख्या-902/2017/अलवर.
5. अपील संख्या-903/2017/अलवर.
6. अपील संख्या-904/2017/अलवर.

7. अपील संख्या-905/2017/अलवर.
8. अपील संख्या-906/2017/अलवर.
9. अपील संख्या-907/2017/अलवर.
10. अपील संख्या-908/2017/अलवर.
11. अपील संख्या-909/2017/अलवर.
12. अपील संख्या-910/2017/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-II, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स प्रा0 लिमिटेड,
223-226, एम.आई.ए., अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपरोक्त बारह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 136, 138, 140, 142, 144 व 146/CST/2015-16/अपी.प्राधि./अलवर एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 135, 137, 139, 141, 143 व 145/RVAT/2015-16/अ.प्रा./अलवर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिये केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 65 तथा वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 14.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है। इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है।





लगातार.....2

2. उक्त समस्त अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रमशः वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को अपीलीय आदेश में दिये गये विवरण अनुसार अपास्त किया गया है।

3. वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय अधिनियम के तहत की गई एक विशिष्ट बिक्री के 'सी' फॉर्म को भी अस्वीकार करने सम्बन्धी बिन्दु पर भी किये गये निर्णय पर भी विचार करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :-

(1) प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-तृतीय, वृत्त-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'जांच अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 10.06.2015 को किया गया। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा सेनेटरी आईटम का विनिर्माण किया जाकर उसकी बिक्री राज्य एवं अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में की गयी है एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा फ्रेट के रूप में पृथक से वसूल की गई राशि पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक जारी किये गये बिलों में कर वसूल नहीं किया गया है जिसे करापवंचन मानकर सम्पूर्ण फ्रेट की राशि पर कर एवं ब्याज तथा इसे करापवंचन का अपराध मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

(2) वर्ष 2010-11 में एक अन्य बिन्दु यह भी पाया जाना बताते हुए कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गाजियाबाद की एक फर्म मैसर्स कृष्णवीर एण्ड कम्पनी, गाजियाबाद को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जो अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया था उनमें हालांकि कृष्णवीर एण्ड कम्पनी के नाम से बिल जारी किये गये एवं उसका भुगतान भी कृष्णवीर एण्ड कम्पनी के खाते में प्राप्त किया गया है परन्तु इसका भुगतान कृष्णवीर एण्ड कम्पनी द्वारा नहीं किये जाने के कारण यह माल का विक्रय कृष्णवीर एण्ड कम्पनी को बोगस रूप से किया जाना एवं कृष्णवीर एण्ड कम्पनी के 'सी' फार्म को बोगस मानकर उनका केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत रियायती कर दर से करारोपण को अस्वीकार किया जाना प्रस्तावित किया गया एवं उसी अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय पर पूर्ण कर दर से कर आरोपित करते हुए ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई।




लगातार.....3

(3) सर्वेक्षण के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को अक्षरशः स्वीकार करते हुए न्यायिक अधिकारी के रूप में कर निर्धारण अधिकारी, जो कि उसी वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे, उनके द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.12.2015 को पारित किये गये एवं कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 27.12.2016 के निर्णय से उक्त समस्त कर निर्धारण आदेशों को अविधिक तथा तथ्यों एवं न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध मानते हुए अपास्त कर दिये गये, जिनके विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित हुए एवं कर निर्धारण आदेशों का पठन करते हुए यह कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश पुनर्स्थापित किया जावे एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलों के समय दिये गये लिखित विवरण एवं बहस के दौरान किये गये समस्त कथनों, तर्कों एवं न्यायिक निर्णयों को दोहराते हुए अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताया एवं यह कथन किया कि राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में ऐसा एक भी आधार नहीं बताया जा सका है जो अपीलीय आदेश को त्रुटिपूर्ण बता सके। इस तरह अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध बिना किसी आधार के प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं कर निर्धारण आदेश, अपीलीय आदेश, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस एवं प्रत्यर्थी के जवाब का अवलोकन किया गया।

8. उक्त प्रकरण में निर्णय के पूर्व यह टिप्पणी करना उचित होगा कि राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में एक भी आधार नहीं दिया गया है जो अपीलीय निर्णय को त्रुटिपूर्ण ठहरा सके। इससे यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के ही यह समस्त आदेश पारित किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फ्रेट के बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध जो आदेश पारित किया गया है उसमें बिना कोई साक्ष्यों के एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये जवाब पर बिना कोई विचार किये एवं किसी भी तरह

↓



लगातार.....4

की टिप्पणी अंकित किये केवलमात्र मांग सृजित करने के लिये यह आदेश पारित किये गये हैं। इसका प्रमाण यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में एक बिन्दु यह भी बताया था कि फ्रेट के मामले में उस राशि पर भी करारोपण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है जो माल देश के बाहर अर्थात् एक्सपोर्ट के संव्यवहार में भेजा गया है अतः पूर्ण विक्रय करमुक्त है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उस बिन्दु पर कोई कथन या तर्क दिये बिना करारोपण किया है। इसी तरह प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के जो दृष्टान्त प्रस्तुत किये थे, उनके सम्बन्ध में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवलमात्र यह अंकित किया गया है कि "व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के उद्धरण इस प्रकरण में लागू नहीं होने पर व्यवहारी के प्रस्तुत तर्कों को अस्वीकार किया जाता है।" इस तरह किसी भी सम्मानीय न्यायिक निर्णय को पढ़े बिना एवं उनके लागू नहीं होने के कोई कारण अंकित किये बिना, उन्हें खारिज करने का निर्णय भी यह दर्शाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवलमात्र मांग राशियां सृजित करने की इच्छा से आदेश पारित किये हैं।

9. इस प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण पर यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने पूरे प्रकरण में केवलमात्र यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा फ्रेट की राशि को बिलों में अलग से दर्शाया गया है परन्तु उस पर कर वसूल नहीं किया गया है, अतः समस्त फ्रेट राशि पर कर आरोपणीय है। इस निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 2(36) एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) के प्रावधानों को पढ़े बिना ही फ्रेट की राशि पर करारोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये प्रत्येक कथन एवं तर्क पर विचार करते हुए पूरी तरह से विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है एवं इसी कारण राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा एक भी साक्ष्य बताने में असफल रहे हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा फ्रेट की राशि को बिलों में पृथक से अंकित करते हुए उसे क्रेताओं से वसूल की है, वह क्यों विक्रय मूल्य का भाग होगी। यहां यह टिप्पणी करना उचित है कि किसी व्यवहारी द्वारा फ्रेट की राशि को बिलों में अलग से दर्शा दिया गया हो परन्तु कोई ऐसा साक्ष्य जांच अधिकारी को प्राप्त हो कि माल का विक्रय एक्स-शोरूम या एक्स-फैक्ट्री ना कर किन्हीं गुप्त अनुबंधों के जरिये फ्रेट सहित राशि के साथ विक्रय राशि तय की गई थी तब उन साक्ष्यों के




लगातार.....5

आधार पर किसी व्यवसायी के विरुद्ध फ्रेट पर कर नहीं चुकाने से करापवंचन किये जाने के कृत्य से कोई कार्यवाही की जा सकती है, जबकि इन प्रकरणों में न तो ऐसा कोई साक्ष्य है न ही ऐसा कोई तथ्य था, बल्कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वे समस्त अनुबंध एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का विक्रय एक्स-फैक्ट्री या एक्स-शोरूम किया गया था एवं माल के ट्रांसपोर्टेशन हेतु किये जाने वाले खर्च की राशि को बिलों में अलग से दर्शाया हुआ था, जिसका पूरा विवरण अपीलीय अधिकारी द्वारा भी दिया गया है।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के कर निर्धारण आदेश पूर्व में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 24 के तहत पारित किये हुए थे, उस स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत किस आधार पर आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है वह नहीं बताया गया, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह चुनौती भी दी गयी थी। प्रत्यर्थी के नियमित कर निर्धारण आदेश में प्रत्यर्थी व्यवहारी की बहियात की जांच के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने यह स्वीकार किया था कि व्यवहारी द्वारा फ्रेट की राशि अलग से वसूल किये जाने के कारण उस पर कर आरोपणीय नहीं है परन्तु प्रतिकरापवंचन अधिकारी के द्वारा, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे करापवंचन को रोकेंगे, उनके द्वारा बिना किसी साक्ष्यों के प्रत्यर्थी पर केवल इस टिप्पणी के साथ कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है कि उनके द्वारा फ्रेट को वैट इन्वॉयस में अलग से चार्ज किया गया है परन्तु उस पर कर संग्रहित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 2(36) एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) का अध्ययन किया जाता तो निश्चित रूप से उनके यह परिज्ञान में आ सकता था कि जिन मामलों में व्यवहारी द्वारा जारी बिलों में फ्रेट को पृथक से वसूल किया जाता है उन पर करदेयता नहीं होती है। पुनः यह कथन करना उचित होगा कि ऐसे मामले जहां पर व्यवसायी द्वारा अपने क्रेता से ऐसा अनुबंध किया गया है कि उस माल की डिलीवरी विक्रेता द्वारा भाड़े की कीमत सहित एक विशिष्ट मूल्य के तहत की जायेगी, उन मामलों में बिलों में अलग से वसूल की गई फ्रेट की राशि को अस्वीकार किया जा सकता है परन्तु यह प्रत्येक मामले में साक्ष्यों पर निर्भर होगा और उस संव्यवहार में विक्रय मूल्य को अन्यथा प्रमाणित करने का भार राजस्व का होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वे झूठे अथवा मिथ्या हैं, जबकि इस प्रकरण में सभी दस्तावेज जो स्वयं जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उनसे यह प्रमाणित था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त माल एक्स-शोरूम या एक्स-फैक्ट्री से विक्रय

किया गया है एवं इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कुछ विक्रय अनुबंधों के विवरण को आदेश में वर्णित किया गया है कि उसके क्लॉज-3 में यह अंकित था कि -

"All supplies will be made at the price prevailing on the date of dispatch as fixed by the company from time to time. All prices shall be ex-works, Ranipat / Alwar / Dewas / Perundurai."

इसी तरह अनुबंध के क्लॉज 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि -

"the transportation costs from the factory to dealer's place and other expenses incidental thereon, Central Excise, Sales Tax, Octroi etc. or any other Government taxes now in force and / or may be enforce from time to time, shall be borne by the dealers."

11. इस तरह इस प्रकरण में तथ्यात्मक रूप से यह स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने माल का विक्रय एक्स-वर्क किया गया था एवं परिवहन के वास्तविक खर्चों को बिलों में पृथक से दर्शाते हुए अपने क्रेताओं से वसूल किया गया था। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 2(36) एवं 2(एच) में कर उद्ग्रहणीय नहीं होता है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) निम्न प्रकार है :-


Sec. 2. Definitions - (RVAT Act, 2003)

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation III. - Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

Sec. 2. Definitions - (CST Act, 1956)

(h) "sale price" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

लगातार.....7

12. उक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यवहारी द्वारा क्रेताओं के लिये परिवहन (Transportation) के खर्चे किये जाते हैं एवं उस राशि को अपने बिलों में पृथक रूप से दर्शाई जाती है तो वह राशि उनके विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी, न ही वह टर्नओवर में सम्मिलित योग्य होगी। इसी कारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के जो कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, उसमें फ्रेट की राशि को कर योग्य टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया था एवं बिना किसी आधार के उसी फ्रेट राशि को विक्रय मूल्य की राशि में सम्मिलित करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्याय के विरुद्ध है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक रूप से यह कथन किया था कि जो माल देश के बाहर निर्यात के क्रम में विक्रय किया गया है उसे भी प्रस्तावित नोटिस में अंकित किया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उस सम्बन्ध में भी किसी भी तरह का विचार नहीं किया है। इसी तरह कर निर्धारण अधिकारी ने यह विचार नहीं किया है कि उनके द्वारा अनुबंधों में एक्स-शोरूम एक्स वर्क माल का विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है इसीलिये जिन मामलों में फ्रेट वसूल नहीं किया गया है, उनमें भी वही विक्रय मूल्य बिलों में दर्शाया गया है जो फ्रेट वसूल करने वाले मामलों में बताया गया है। इससे यह प्रमाणित था कि प्रत्यर्थी के माल का विक्रय मूल्य निश्चित था एवं परिवहन के लिये क्रेताओं के आदेश अनुसार ट्रांसपोर्टेशन करने में किये गये खर्चों को फ्रेट राशि के रूप में बिलों में पृथक से दर्शाया गया था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी तथ्य पर बिना किसी विपरीत साक्ष्यों के केवल यह लिखते हुए आदेश पारित किया गया है कि वे प्रत्यर्थी के जवाब को अस्वीकार करते हैं एवं समस्त मामले को केवलमात्र इसलिए करापवंचन का अपराध मानते हैं कि उनके द्वारा पृथक से एकत्रित किये गये फ्रेट राशि पर कर नहीं चुकाया गया है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में माल का विक्रय एक्स वर्क किया जाता है एवं परिवहन की राशि अलग से वसूल की जाकर उसे बिलों में दर्शाया जाता है उन्हें विक्रय मूल्य एवं टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फलतः फ्रेट के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचित आदेश पारित किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के अविधिक एवं साक्ष्यविहीन आदेशों को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।




लगातार.....8

14. इन अपीलों में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में यह बिन्दु भी जांच अधिकारी द्वारा विवादित किया गया था कि मैसर्स कृष्णवीर एण्ड कम्पनी गाजियाबाद को जो अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया है वह बोगस 'सी' फॉर्म से किया गया है, इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये जवाब को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः उचित रूप से स्वीकार किया है जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा यह मान्य किया गया है कि माल का विक्रय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स कृष्णवीर एण्ड कम्पनी को ही किया गया था एवं वर्ष 2010-11 में जो 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किये गये थे, वे कृष्णवीर एण्ड कम्पनी द्वारा ही दिये गये थे उन घोषणा पत्रों के मिथ्या होने की कोई जांच नहीं की गई है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हमारे समक्ष भी यह बताया गया कि क्रेता व्यवहारी के भागीदारों में आपसी झगड़े की वजह से उसका भुगतान उनके द्वारा दिये गये आदेश अनुसार अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है चूंकि प्रत्यर्थी ने माल के बिल मैसर्स कृष्णवीर एण्ड कम्पनी को ही जारी किये थे एवं कृष्णवीर एण्ड कम्पनी को प्राप्त 'सी' फॉर्म ही उक्त प्रत्यर्थी को प्रस्तुत किये गये थे उसे अस्वीकार कर 'सी' फॉर्म को बोगस निर्णीत करने का आदेश अविधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे समक्ष बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने यह भी बताया कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के 'सी' फॉर्म को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बोगस बताया गया है जबकि वर्ष 2011-12 के 'सी' फॉर्म प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्राप्त ही नहीं हुए हैं एवं उनके द्वारा उन 'सी' फॉर्म को प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन संव्यवहार के 'सी' फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिये नियमित कर निर्धारण आदेश में अन्तर कर भी आरोपित किया हुआ है। 'सी' फॉर्म के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की जाती है कि वर्ष 2010-11 के जो 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी जांच गाजियाबाद के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से कराई जावे एवं यदि वे बोगस पाये जाते हैं तो उस मामले में कर निर्धारण अधिकारी पुनः करारोपण कर सकते हैं। इसी तरह वर्ष 2011-12 के 'सी' फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी वर्ष 2011-12 के 'सी' फॉर्म प्रस्तुत करते हैं तो उस सम्बन्ध में नियमानुसार जांच करवाई जाकर सही पाये जाने पर उसका भी लाभ दिया जावे एवं यदि वे सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी नहीं किया जाना पाया जाता है तो अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया जावे।

15. फलतः 'सी' फॉर्म के बिन्दु पर अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती हैं।



लगातार.....9

16. परिणामस्वरूप, फ्रेट राशि पर किये गये करारोपण के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा 'सी' फॉर्म के बिन्दु पर राजस्व की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

17. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(क. एल. जैन)
सदस्य